

मुगल राज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति : एक अध्ययन

डॉ मनोज कुमार सिनसिनवार

सहायक आचार्य इतिहास महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय

भरतपुर (राजस्थान)

सार

इस लेख में भारत में मुगलकाल में महिलाओं के अधिकार और स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। स्रोत मुख्य रूप से विभिन्न महत्वपूर्ण वेबसाइटों, शोध लेखों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, सरकारी दस्तावेजों आदि से संचित किए गए हैं। पेपर मुख्य रूप से वर्णनात्मक प्रकृति का है। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति वंचित अवस्था में थी। इसका प्रमुख कारण पुरुष प्रधानता का प्रचलन था। महिलाओं में दिन-प्रतिदिन के जीवन के विभिन्न पहलुओं की कमी है। उन्हें अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति समर्पित थीं। इसके अलावा, वे बहुविवाह, सती, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या की प्रथाओं से अभिभूत थे। इस्लाम के आगमन के साथ उनकी स्थितियों में सुधार आया और उन्हें अधिकार दिए गए।

कुंजी शब्द: अधिकार, स्थिति, मुगल काल, महिला, इस्लाम

परिचय

प्राचीन भारत में महिलाओं ने समाज में काफी प्रभाव डाला और सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक मूल्यों और प्रवृत्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई; और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। प्रसिद्ध भारतीय कानून-निर्माता मनु के दिनों से ही, हिंदू कानून ने महिलाओं को एक आश्रित, लेकिन किसी भी तरह से समाज में एक अपमानजनक स्थिति नहीं दी है। एक लड़की के रूप में, वह अपने माता-पिता के संरक्षण में थी, एक वयस्क के रूप में, अपने पति के, और एक विधवा के रूप में अपने बेटों के। धार्मिक मामलों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त था। उन्हें अपने परिवार के सदस्य की इच्छा कल्याण द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। पूर्व-मुस्लिम काल में भारत में महिलाएं, हालांकि सिद्धांत रूप में और साथ ही व्यवहार में काफी हद तक पुरुषों पर निर्भर और संरक्षित थीं, समाज में एक सम्मानजनक स्थिति थी।

भारतीय इतिहास: एक संक्षिप्त कालानुक्रमिक अवलोकन

कालानुक्रमिक रूप से, भारतीय इतिहास को तीन अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है- प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का अध्ययन पुरापाषाण काल (2 मिलियन ईसा पूर्व - 10,000 ईसा पूर्व), मेसोलिथिक (10,000 ईसा पूर्व - 8,000 ईसा पूर्व), नवपाषाण (8,000 ईसा पूर्व - 4,000 ईसा पूर्व) और चालकोलिथिक काल (4,000 ईसा पूर्व - 1,500 ईसा पूर्व) के प्रकारों

के आधार पर किया जा सकता है। लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर/धातु के औजारों की संख्या। इस अवधि के भीतर इसमें लौह युग (बीसी 1500-ईसा पूर्व 200) और मौर्य साम्राज्य (321-185 ईसा पूर्व) भी शामिल हैं। मध्यकालीन भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष - प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट (AD: 800-1200), दिल्ली सल्तनत (1206 AD -1526 AD) और मुगल (AD 1526-AD 1857)। अन्तिम काल आधुनिक भारत (1857+ ई.)

मुगल काल की एक संक्षिप्त रूपरेखा

मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी का सामना किया और उसे हरा दिया, और इसलिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी, और वे मंगोल शासक चंगेज़ खान और तैमूर (तम्बुरलाइन), एशिया का महान विजेता। उन्हें अपनी वंशावली पर बहुत गर्व था, और यह चौदहवीं शताब्दी में भारत पर तैमूर के आक्रमणों की स्मृति थी जिसने बाबर को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। 17वीं शताब्दी के अंत तक, अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप मुगल साम्राज्य के अधीन फिर से जुड़ गया था, जो बन गया दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विनिर्माण शक्ति, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक चौथाई उत्पादन, खंडित होने से पहले और अगली शताब्दी में जीत लिया गया। भारत पर मुगल शासन को एक साम्राज्य कहा जाता है क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जब यह सबसे बड़ा था, तो इसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, जिसे तब हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो अब भारत, अफगानिस्तान और आधुनिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से हैं, 1526 और 1707 के बीच।

मुगल समाज में वर्ग

- मुगलकाल में समाज सामंती आधार पर संगठित था और सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख सम्राट होता था।
- उन्होंने एक अद्वितीय स्थिति का आनंद लिया। वह हर चीज में परम अधिकारी थे।
- रैंक में अगला जमींदारों के साथ कुलीन वर्ग का था।
- मुगल सामंतों का देश में अधिकांश नौकरियों पर एकाधिकार था।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से मुगल अमीरों ने एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का गठन किया। मुगल अमीरों में हर प्रकार और राष्ट्रीयता के पुरुष थे।
- समाज के अभिजात्य वर्ग में भर्ती और प्रवेश के लिए कबीले या पारिवारिक संबंध सबसे महत्वपूर्ण विचार थे।
- जमींदार या मुखिया भी कुलीन वर्ग का गठन करते थे। उनके पास अपनी खुद की सशस्त्र सेना थी और आम तौर पर किलों या गढ़ियों में रहते थे जो शरण का स्थान और प्रतिष्ठा का प्रतीक दोनों थे।

- व्यापारियों और व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग था। परंपरा और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर उनके अपने अधिकार थे। उन्होंने उच्च जीवन स्तर बनाए रखा।

मुगल काल के दौरान महिलाओं के अधिकार और स्थिति

मुगलों के आगमन के साथ भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया। बदली हुई व्यवस्था में विकसित हुए सामाजिक कानूनों और रीति-रिवाजों ने कई बार महिलाओं को मानसिक कमी के कलंक से ढँक दिया और उनमें हीन भावना का गहरा भाव पैदा कर दिया।

मुगलों के अधीन भारतीय अभिजात वर्ग के बीच एक स्वस्थ परंपरा प्रचलित हुई। बादशाह हुमायूँ के शाही हरम की महिलाएँ अपने पुरुष मित्रों और आगंतुकों के साथ स्वतंत्र रूप से घुलमिल जाती थीं। वे कभी-कभी पुरुषों के कपड़े पहनती थीं, पोलो खेलती थीं और खुद को संगीत में लगा लेती थीं। वे गोली धनुष और अन्य व्यावहारिक कलाओं के उपयोग में भी पारंगत थे। जीवन के निचले क्षेत्रों में महिलाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन शायद वे स्थिति में खुद से ऊंची महिलाओं के मानकों के अनुरूप थीं। वैदिक युग के बाद की शताब्दियों में महिलाओं की स्थिति में निश्चित रूप से गिरावट आई थी। प्राचीन काल में, पर्दा का अस्तित्व बहुत सामान्य नहीं होने के बावजूद पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता था। महिलाओं के सख्त पर्दा करने की प्रथा मुसलमानों के बीच उनकी मूल भूमि में आम प्रथा थी।

भारत में तुर्कों के आगमन के साथ ही मुझे भी हिंदू महिलाओं द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों अपना सम्मान बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में अपनाया गया था। दिल्ली के सुल्तानों की तरह मुगलों के अधीन भी पर्दा प्रथा प्रचलित थी।

दहेज और तलाकः

लड़कियों के जन्म को अप्रिय घटना मानने का मुख्य कारण दहेज प्रथा थी। दूल्हे के माता-पिता को दिए गए सुंदर दहेज के बिना लड़कियों का विवाह उपयुक्त दूल्हे से करना असंभव था। इस प्रथा के कारण कई गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार बर्बाद हो गए। दहेज की प्रथा ने मुस्लिम समाज को भी प्रभावित किया और यह प्रथा उच्च वर्ग के मुसलमानों में प्रचलित हो गई। अबुल फजल लिखते हैं, "अकबर उच्च दहेज को अस्वीकार करता था, हालांकि वह (अकबर) का मानना था कि उच्च दहेज तय करना जल्दबाजी में तलाक के खिलाफ निवारक था"। वह हमें यह भी बताता है कि, "ब्राह्मणों के मामले में दहेज का उल्लेख नहीं किया गया था, और तलाक प्रथा नहीं थी। मुस्लिम कानून और रीति-रिवाज सशर्त रूप से तलाक की अनुमति देते थे, लेकिन हिंदुओं में इसकी अनुमति नहीं थी। हिंदुओं के बीच विवाह एक संस्कार था और इसका बंधन अटूट था। तलाक के अधिकार ने मुस्लिम महिला को उसके हिंदू समकक्ष की तुलना में एक बेहतर स्थिति प्रदान की, और एक तलाकशुदा महिला को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गई।

बहुविवाह:

मुगल भारतीय बहुविवाह में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच प्रचलित था, विशेष रूप से समाज के समृद्ध वर्गों से संबंधित। यदि उसके हरम में कई पत्नियाँ हों तो एक पुरुष की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है लेकिन महिला की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बहुविवाह में अपने पति का पक्ष लेने के लिए उसे सह-पत्नियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। उसे अक्सर ऐसे विवाहों में आनंद की वस्तु के रूप में देखा जाता था।

विवाह के संबंध में, मुस्लिम कानून एक व्यक्ति को कुछ शर्तों के अधीन एक समय में चार पत्नियाँ रखने की अनुमति देता है। हालांकि अकबर मोनोगैमी के पक्ष में था, उसने खुद किसी को तलाक दिए बिना 300 से अधिक पत्नियों से शादी करके अपने हुक्म का उल्लंघन किया। आमतौर पर एक बहुपत्नी मुस्लिम परिवार में पहली पत्नी, यानी पहली शादी से पत्नी, सबसे सम्मानित एक {हराम-ए मुहतरम} थी और घरेलू मामलों के प्रबंधन पर उसका नियंत्रण था और उसकी अन्य पत्नियों की जिम्मेदारी थी पति, हालाँकि छोटे लोग निश्चित रूप से अपने स्वामी की आँखों के आकर्षण बन गए थे। बहुविवाह की बुराइयों से हिन्दुस्तान का मुस्लिम समुदाय अधिक पीड़ित था।

वेश्या:

वेश्यावृत्ति को भी एक आवश्यक सामाजिक बुराई माना जाता था। इन सार्वजनिक महिलाओं को कई बार विशेष अवसरों पर नर्तकियों और गायकों के रूप में नियुक्त किया जाता था, उदाहरण के लिए, दावतें, त्यौहार, विवाह और इसी तरह। उनमें से कुछ उच्च निपुण महिलाएँ थीं, जो विभिन्न कलाओं और कौशलों जैसे संगीत, कविता, जादू-टोना और जासूसी में निपुण थीं। मनमोहक नृत्य और गीत। ये सार्वजनिक महिलाएं समाज में बढ़ती नैतिक शिथिलता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हो सकती हैं।

सती:

हिंदुओं में स्त्री के जीवन में पति की मृत्यु सबसे बड़ी त्रासदी थी। मुगल काल में कुछ निचले वर्गों को छोड़कर हिंदुओं में विधवा-पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। हिंदुओं में यह प्रथा थी कि अपने पति की मृत्यु के बाद महिलाएं खुद को जलाती हैं, चाहे प्यार से, या अपने पिता के सम्मान को बचाने के लिए, वा अपने दामादों के सामने लज्जित होने से। वे विधवाएँ जो अपने पति के साथ स्वयं को नहीं जलातीं, उनके साथ समाज द्वारा कठोर व्यवहार किया जाता था; उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे क्योंकि उन्हें अपने बाल लंबे रखने या गहने पहनने की अनुमति नहीं थी। समाज ने सती न करने वाली विधवाओं को दण्डित किया। विधवापन को पूर्व जन्म के पापों की सजा माना जाता था। एक गर्भवती महिला को उसके प्रसव के बाद तक जलने की पीड़ा नहीं होती थी। यदि वह पुरुष यात्रा के दौरान मर जाता है, तो उसकी पत्नियाँ उसके वस्त्रों या जो कुछ उसका हो सकता है, उसके साथ खुद को जला लेती हैं। सती ज्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया समुदाय की महिलाओं द्वारा की जाती थी। सती प्रथा मुगलों के आगमन से पहले भी प्रचलित थी और प्रकृति में कमोबेश अनिवार्य थी। इस संबंध में कुछ मुगल बादशाहों, विशेष रूप से अकबर ने इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की और कम से कम इस पर रोक लगाने की कोशिश की कि कोई विधवा अपने पति के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जलाई जाती। इन सभी प्रयासों के बावजूद, इसे पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा बाद के समय में भी हिंदू समाज में जारी रही।

जौहर:

सती की तरह, जौहर भी विशेष रूप से राजपुताना की महिलाओं द्वारा किया जाता था। शत्रुओं द्वारा पूरे गाँव और कस्बे पर कब्जा करने के अवसर पर अक्सर महिलाओं की लज्जा भंग की जाती थी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कई विधवाएँ खुशी-खुशी अपने पति की चिता पर चढ़ गईं। यह प्रथा कमोबेश राजपूतों तक ही सीमित थी।

जब एक राजपूत प्रमुख और उसके सैनिक अपनी हार के बारे में सुनिश्चित हो जाते हैं, तो उन्होंने या तो अपनी महिलाओं और बच्चों को मार डाला या एक किले या एक भूमिगत बाड़े के अंदर बंद कर दिया और आग लगा दी और उसके बाद वे युद्ध के मैदान में चले गए और वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। जौहर की इस प्रथा का उद्देश्य मुख्य रूप से महिलाओं के जीवन की कीमत पर उनके सम्मान की रक्षा करना था। जौहर की इस प्रथा का अक्सर मुसलमानों द्वारा अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए अंतिम हथियार के रूप में सहारा लिया जाता था।

महिलाओं द्वारा प्राप्त संपत्ति:

मुगल काल में विरासत, मेहर और उपहारों के भुगतान के कानून द्वारा महिलाओं को चल और अचल संपत्ति में हिस्सा मिलता था। अपने बच्चों के बीच पैतृक संपत्ति या पिता की संपत्ति के विभाजन के संबंध में, मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं की तुलना में अच्छा व्यवहार मिला। विरासत का इस्लामी कानून महिलाओं को बेटी के अधिकार को मान्यता देता है, लेकिन पुरुष सदस्यों के रूप में एक समान हिस्सा। बेटियों का हिस्सा बेटे से आधा हो रहा था। दूसरी ओर, हिंदू धर्म में लड़कियों को पिता की संपत्ति विरासत में नहीं मिलती है, सिवाय इसके कि अविवाहित बेटियों को पिता की संपत्ति विरासत में मिले, सिवाय इसके कि अगर अविवाहित बेटी विरासत में मिले, जिसे बेटे का एक और हिस्सा मिलता है जो उसकी शादी और उसके दहेज पर खर्च किया जाना था। बाद में उसे अपने पिता के घर से अधिक आय नहीं हुई। पिता की संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार को नकारने का यह एक सुविधाजनक कारण बन सकता है। शाही महिलाओं के पास उनके नियमित भत्तों के अलावा बादशाह द्वारा दी गई विशाल जागीरें थीं। विशेष अवसरों पर उन्हें नकद और वस्तु के रूप में विशेष उपहार भी प्राप्त होते थे। गुलबदन बेगम हमें बताती हैं कि पानीपत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की जीत के बाद, उसने ख्वाजा किलन बेग से कहा कि वह अपने "बड़े संबंधों, बहनों और हरम के प्रत्येक व्यक्ति" को हिंदू के बहुमूल्य उपहार और जिज्ञासाएं ले जाए।

शिक्षा :

नितांत पुरुष प्रधान मध्यकालीन समाज में स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। मुगल काल के दौरान, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच महिला शिक्षा को पुरुष शिक्षा से कम महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके विकास के लिए बहुत ही अपर्याप्त प्रावधान किए गए थे। जन शिक्षा आम तौर पर अज्ञात थी। मध्य युग में कई लोग अपने दृष्टिकोण में शुद्धतावादी थे। वे महिला शिक्षा को समाज के लिए सकारात्मक रूप से हानिकारक नहीं तो अनावश्यक मानते थे। उनका विचार युवा लड़कियों को घरेलू काम के लिए तैयार करना था। फिर भी ऐसे लोग थे जो निष्पक्ष सेक्स के बौद्धिक कल्याण की देखभाल करते थे। हालाँकि, कई कारक भी थे जो मुगल काल के दौरान बड़े पैमाने पर

महिला शिक्षा के विकास में बाधक थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पर्दा प्रथा सहित एकांतवास था जिसने आने-जाने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया और महिलाओं को उनके घरों तक सीमित कर दिया। इसने महिलाओं को शैक्षिक संस्थानों में जाने से रोका और इस प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त की।

महिला गुलाम:

मुगल भारत में महिला दासता की संस्था पहले की अवधि से नहीं बदली। भारत की गुलाम लड़कियों के अलावा चीन और तुर्किस्तान से भी महिला गुलामों का आयात किया जाता था। दासता मुख्य रूप से विद्रोही या दुश्मन क्षेत्रों में सशस्त्र कार्रवाई और माता-पिता द्वारा बच्चों की बिक्री के माध्यम से थी। गुलामी 'बंधन' की एक संस्था थी, गुलाम महिलाओं का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, मालिक की सहमति के बिना उन्हें स्थानांतरित करने या मुक्त होने का कोई अधिकार नहीं होता। महिला दास दो प्रकार की होती थी, एक को प्रिय रखा जाता था और आनंद और आनंद के लिए रखा जाता था, और दूसरी वस्तुतः नौकरानी के रूप में काम करती थी जो पानी निकालने और कॉम को पीसने जैसे मोटे घरेलू काम करती थी। हरम की महिला कैदियों की देखभाल के लिए दासों के एक विशेष वर्ग को नियुक्त किया गया था। उन्हें आमतौर पर बचपन में लाया जाता था और बधिया कर दी जाती थी। मास्टर को अपनी खुशी के लिए एक नौकरानी पसंद थी, उसे बस उसे बुलाना था या उससे शादी भी करनी थी। गुलबदन बेगम लिखती हैं, "जब भी कोई अच्छी दिखने वाली और अच्छी लड़की होती थी, तो वह (महम) उसे (हुमायूँ) की सेवा में ले आती थी।" मेवाजान गुलबदन के रिटिन्यू में एक घरेलू था, और महम बेगम ने कहा, 'हुमायूँ मेवाजान बुरा नहीं है। आप उसे अपनी सेवा में कौन नहीं लेते हैं। इसलिए, उसके कहने पर, हुमायूँ ने उससे शादी की और उसी रात उसे ले लिया।

निष्कर्ष

मध्ययुगीन भारत में महिलाओं ने समाज में काफी प्रभाव डाला और सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक मूल्यों और प्रवृत्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज में एक सम्मानजनक स्थिति हासिल की। भारत में मुगलों के आगमन की अगली कड़ी के रूप में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया। सामान्य रूप से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ-साथ मुगल काल की शाही महिलाओं पर भी जोर दिया जा रहा था। मुगल भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और उनकी स्थिति उनके रक्त संबंधों के बजाय उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करती थी, जैसे महम अनागा, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हरम में और खुद अकबर पर एक असीम प्रभाव डाला। समकालीन राजनीति में शासक वर्ग की महिलाओं का योगदान और हस्तक्षेप महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। वरिष्ठ मुगल महिलाओं को शांति-निर्माण के मामलों में एक केंद्रीय भूमिका निभाने के रूप में सर्वत्र दर्ज किया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें सरकार का प्रभार भी सौंपा गया था। मुस्लिम महिलाओं और मुगल हरम की महिलाओं के अलावा, हिंदू महिलाओं ने भी मुगल भारत की राजनीति के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कभी-कभी महिलाओं ने वास्तविक अधिकार का प्रयोग करने के लिए राज्य पर शासन किया और यहां तक कि उनके पास एक बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना भी थी। यह सब दर्शाता है कि कभी-कभी मुगल भारत में महिलाओं ने उच्च शक्ति और स्थिति प्राप्त की।

संदर्भ

1. अलबरूनी का भारत: ए ए डी के बारे में भारत के धर्म, दर्शन, साहित्य, भूगोल, कालक्रम, खगोल विज्ञान, रीति-रिवाजों, कानूनों और ज्योतिष का लेखा-जोखा।
2. 1030, एड। डॉ. एडवाड सी. सचाऊ, 2 खंड., लो प्राइस पब्लिकेशन, नई दिल्ली,
3. 19 ऑगस्टस, फ्रेडरिक, द एम्परर अकबर, टी.आर., ए.एस. बेवरिज, 2 खंड, शैक्षणिक
4. एशियाटिका, पटना, 1973
5. अंसारी, मुहम्मद अजहर, 'द हरेम ऑफ द ग्रेट मुगल्स', आईसी, 34, जनवरी, 1960
6. अंसारी, मो. अज़हर, यूरोपियन ट्रेवेलर्स अंडर द मुगल्स, 1580-1627, इदराह-ए अदबियत-ए दिल्ली, दिल्ली, 197583
7. बेगम, गुलबदन बानो, हुमायूं नोमा, संस्करण, ए.एस. बेवरिज, ताशकांत, 1959; अभियांत्रिकी। टी.आर., ए.एस. बेवरिज, लो प्राइस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989 [पुनर्मुद्रित] एडवर्ड, एस. होल्डन, मुगल एम्परर्स ऑफ़ हिंदुस्तान ए.डी. 1398-1707, दिल्ली
8. मजूमदार, आर. सी, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल: द मुगल एम्पायर, बॉम्बे, 1974
9. शमीम, अंबरीम, 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 2010